न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-342RAAJodhpur2022-209RTA225 Shivram Vs State of Rajasthan

शिवराम पुत्र श्री प्रभुराम जी, जाति जाट, निवासी-
गांव चिरढाणी, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 22 फरवरी 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 443/2021 शिवराम बनाम सरकार

उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 23 नवंबर 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 443/2021 शिवराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 22 फरवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 07 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की है।

23.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 785/2 रकबा 1.4643 हैक्टेयर ग्राम चिरढाणी तहसील पीपाड़ शहर में आने-जाने हेतु राजकीय भूमि खसरा नं. 787 एवं 785 में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार ए,बी,सी,डी रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 फरवरी 2022 के जरिये प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब का कोई अवलोकन नहीं किया एवं उन्हें पूर्ण रूप से नजर अंदाज कर दिया गया। आर.आई. की रिपोर्ट एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब को देखते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का कोई आधार नहीं था। विचारण न्यायालय का यह मानना सरासर गलत है कि रास्ता उपलब्ध करवा देने से राजकीय भूमि का दुरुपयोग होगा, जबकि राजकीय भूमि में भी नियमानुसार राशि राजकोष मे जमा करवाने के पश्चात रास्ता उपलब्ध करवाया जा सकता है। राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट से स्पष्ट था कि अपीलार्थी की भूमि जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इन परिस्थितियों में धारा 251-ए के तहत रास्ता दिया जाना आवश्यक था, क्योंकि इस रास्ते के अभाव में अपीलार्थी अपने खातेदारी की भूमि में आवागमन नहीं कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी करने हुए चार पंक्ति का फेसला लिखते

23.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की पत्रावली को राजस्व अभियान की पत्रावलीयों में सलंग्न कर दिया एवं अपीलार्थी को बिना सुने फेसला कर दिया। इस फेसले में अपीलार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज कर दी गई, जबकि कैम्प सूची में सम्मिलित पत्रावलीयों में कोई अधिवक्ता कैम्प में उपस्थित ही नहीं हुए न अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुए। इस कारण अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। अपीलांट द्वारा दिनांक 24.06.2022 को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय जाकर जानकारी जुटाई को पत्रावली दिनांक 22 फरवरी 2022 को निर्णित कर दिया जाना बताया। तब अपीलांट द्वारा उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 30.06.2022 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी से अंदर म्याद अपील प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 443/2021 शिवराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 22 फरवरी 2022 को खारिज फरमाया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए स्वीकार किया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया अपीलांट राजकीय भूमि में सें आवागमन हेतु स्वतंत्र है। उसके आवागमन में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। वर्तमान में अपीलांट को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं होने से

23-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 785/2 में आवागमन हेतु राजकीय भूमि खसरा नं. 785 एवं 787 में से रास्ते की मांग की गई है। खसरा नं. 785 एवं 787 की भूमि राजकीय भूमि होने से प्रथमदृष्टया अपीलांट के आवागमन हेतु किसी प्रकार कोई अवरोध नहीं है तथा न ही उक्त रास्ता अपीलांट की आत्यंतिक आवश्यकता का रास्ता पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा विचारण न्यायालय के मत से सहमत होने से अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अपीलांट को भविष्य में रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने पर नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन एवं म्याद बाधित होने खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 443/2021 शिवराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 22 फरवरी 2022 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23-11-23

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर